न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 53/2023

उनवान

1 विजय कंवर पत्नी नन्द सिंह

2. सरोज कंवर पत्नी रोहिताश सिंह

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति राजपूत, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

– प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

2 गोपाल पुत्र घीसाराम

3. प्रहलाद पुत्र घीसाराम

4 महेश पुत्र घीसाराम

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी साईवाड, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

5. दीनदयाल पुत्र ओमकार

6. धन्नालाल पुत्र बल्लाराम समस्त जाति गुर्जर, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

7. रतनलाल गुर्जर पुत्र श्री रामलाल गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 11/07/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थीया के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि हाल आराजी ख0 न0 258/1.69 है0 वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि स्थित है जिस पर कब्जा कास्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी ख0 न0 258 भूमि वाकै रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर का तहसीलदार के आदेश की पालना में दिनांक 03.05.2023 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीया अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी सं0 05 व 06 स्वयं उपस्थित आये। अप्रार्थी सं0 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरिजा शंकर ने अण्डरटेकिंग दी। प्रकरण में वकील अप्रार्थी के द्वारा वकालतनामा, जवाब प्रा0 पत्र पेश नही किया गया। शेष अप्रार्थीगण की तामिल हो चुकी है जो बाद तामिल व सूचना के उपस्थित नही आये, बावजूद तामिल व सूचना के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार शाहपुरा को प्रकारण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/995 दिनांक 20.02.2024 को रिपोर्ट प्रेषित की गयी। तहसीलदार शाहपुरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि ग्राम रघुनाथपुरा के हाल आराजी ख0 न0 258/1.69 है0 भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 03.05.2023 को किया गया है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 03.05.2023 का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी ख0 न0 258/1.69 है0 वाकै ग्राम रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर के प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 03.05.2023 के अनुसार नियमानुसार पत्थरगढी करवावे। तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/07/24 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)